निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(007) संगरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधान सभा का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री गुरदीप सिंह, वीपीओ – शाहपीनी तहसील– संगरिया जिला– हनुमानगढ (राजस्थान), भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : हनुमानगढ़

तारीख: 11 दिसम्बर, 2018



(कपिल कुमार यादव) रिटर्निमा अधिकारी (उपखण्ड अविकासी प्रविच्चित्रमा प्रविच्चित्रमा स्विच्चित्रस्मा स्विच्चित्रमा स्वाप्या स्विच्चित्रमा स्वाप्या स्विच्चित्रमा स्वाप्या स्विच्चित्रमा स्वाप्या स्विच्चित्रमा स्वाप्या स्विच्चित्रमा स्वाप्या Conduct of Elections Rules 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from (007) Sangaria Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that- SH. GURDEEP SINGH, VPO- SHAHPEENI TEHSIL – SANGARIA DISTRICT – HANUMANGARH (RAJ.) sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: HANUMANGARH Date: 11 December, 2018

(KAPIL KUMAR YADAV) RETURNING OFFICER

(SUB-DIVISIONAL OFFICER & SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE SANGARIA)

(007) SANGARIA ASSEMBLY CONSTITUTORY